

**नाम संस्था- संकल्प सेवा संस्थान,
किशनगढ़
विधान नियमावली**

- 1- संस्था का नाम - इस संस्थान का नाम संकल्प सेवा संस्थान, किशनगढ़ है व रहेगा।
- 2- पंजीकृत कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र - संस्थान का पंजीकृत कार्यालय ए-25 बृजविला अग्रसेन नगर, किशनगढ़ है व रहेगा तथा इस संस्थान का कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य तक सीमित होगा।
- 3- संस्था के उद्देश्य - इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-
 1. निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों/ बच्चों की शिक्षा, भोजन, आवास, स्वास्थ्य, कौशल विकास, रोजगार एवं सुरक्षा के उत्थान हेतु कार्य करना।
 2. पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूक करना एवं कार्य करना।
 3. भारत सरकार/ राज्य सरकार एवं कॉर्पोरेट द्वारा जनहितार्थ की योजनाओं/ कार्यक्रमों को जनमानस तक पहुंचाने में भागीदारी निभाना।
 4. समाज में शिक्षा के प्रसार हेतु सभी स्तर के शिक्षण एवं तकनीकी संस्थाओं / विद्यालयों/ महाविद्यालयों का निर्माण एवं संचालन करना।
 5. समाज में स्वास्थ्य सेवाओं के उत्थान हेतु चिकित्सा से संबंधित प्रशिक्षण केन्द्रों चिकित्सालयों एवं सुविधाओं का निर्माण एवं संचालन करना।
 6. समाज में धार्मिक एवं सोहार्दपूर्ण वातावरण बनाने हेतु धार्मिक संस्थाओं/ कार्यक्रमों, मंदिर एवं आश्रय स्थलों का निर्माण एवं संचालन करना।
 7. वृद्धा आश्रम, अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम एवं महिला आश्रम खोलना व देख रेख करना।
 8. रक्तदान, नेत्रदान एवं चिकित्सा शिविरो का आयोजन करना।
 9. सामाजिक कुर्रतियों एवं कुप्रथाओं के उन्मुलन हेतु कार्य करना।

Megha
अध्यक्ष

Ajmer
सचिव

Sunish
कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Rajeev Kajot
Designation: REGISTRAR
Date: 2025.02.17 14:52:59 IST
Reason: Approval
Location: Ajmer



10. समाज में आत्मनिर्भरता एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु कौशल विकास के प्रशिक्षण शिविर लगाना एवं रोजगार प्राप्त करने हेतु सहायता करना एवं रोजगार सेवाप्रदाता एजेन्सी के रूप में कार्य करना।
 11. सामाजिक विवाह सम्मेलन एवं परिचय सम्मेलनों का आयोजन करना।
 12. सांस्कृतिक एवं सामाजिक जागरूकता हेतु विभिन्न पत्र, पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं पुस्तकालय एवं वाचनालयों का संचालन करना।
 13. निराश्रित एवं बीमार पशु पक्षियों को चिकित्सा सुविधा एवं सहायता प्रदान करना।
 14. निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ, चिकित्सा शिविर एवं इलाज की व्यवस्था करवाना।
- उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4. सदस्यता - निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:-
 1. संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करते हों।
 2. बालिग हों।
 3. पागल, दिवालिया न हों।
 4. संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
 5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।
5. सदस्यों का वर्गीकरण - संस्थान के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे:-
 1. संरक्षक
 2. विशिष्ट
 3. सम्मानीय
 4. साधारण
6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा - उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा
 1. संरक्षक राशि 5,100 रु. वार्षिक
 2. विशिष्ट राशि 2,100 रु. वार्षिक
 3. सम्मानीय राशि 1,100 रु. वार्षिक
 4. साधारण राशि 5,01 रु. वार्षिक

उक्त राशि एकमुश्त जमा कराई जा सकेगी।

Hejha.
अध्यक्ष

Ajmer
सचिव

Sanidh
कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Rajeev Kajot
Designation: REGISTRAR
Date: 2025.02.17 14:52:59 IST
Reason: Approved
Location: Ajmer



7. सदस्यता से निष्कासन - संस्थान के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा
- 1 मृत्यु होने पर
 - 2 त्यागपत्र देने पर
 - 3 संस्थान के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
 - 4 प्रबंधकारिणी द्वारा दोषी पाए जाने पर।
- उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अंदर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा।
8. साधारण सभा - संस्थान के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिल कर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।
9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य - साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे
- 1 प्रबंधकारिणी का चुनाव करना
 - 2 वार्षिक बजट पारित करना
 - 3 प्रबंधकारिणी द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना
 - 4 संस्थान के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना।
- (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)
10. साधारण सभा की बैठकें - 1 साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
- 2 साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
 - 3 बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व आवश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।
 - 4 कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा

Yegha
अध्यक्ष

[Signature]
सचिव

[Signature]
कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Rajeev Kajot
Designation: REGISTRAR
Date: 2025.02.17 11:52:59 IST
Reason: Approved
Location: Ajmer



सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे।

- 5 संस्थान के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर सचिव/अध्यक्ष द्वारा एक माह के अंदर अंदर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष / सचिव द्वारा बैठक न बुलाए जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

11. कार्यकारिणी का गठन - संस्थान को सुचारू रूप से चलाने हेतु एक प्रबंधकारिणी का गठन किया जावेगा। जिसके निम्न पदाधिकारी व सदस्य होंगे -

1. अध्यक्ष	-	एक
2. उपाध्यक्ष	-	एक
3. सचिव	-	एक
4. सह सचिव	-	एक
5. कोषाध्यक्ष	-	एक
6. सदस्य	-	पांच

इस प्रकार प्रबंधकारिणी में पांच पदाधिकारी व पांच सदस्य कुल दस सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन - 1 संस्था की प्रबंध कार्यकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जाएगा।
2 चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
3 चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा की जाएगी।


अध्यक्ष


सचिव


कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Rajeev Kajot
Designation: REGISTRAR
Date: 2025.02.17 14:52:59 IST
Reason: Approval
Location: Ajmer



13. कार्यकारिणी के कर्तव्य एवं अधिकार:

- संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होंगे:-

1. सदस्य बनाना/सदस्यता समाप्त करना।
2. वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्थान की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4. वेतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवामुक्त करना।
5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों/प्रस्तावों को क्रियान्वित करना।
6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियाँ बनाना।
7. अन्य कार्य जो संस्थान के हितार्थ हों करना।

14. कार्यकारिणी की बैठकें -

1. कार्यकारिणी की वर्ष भर में 5 बैठक अनिवार्य होंगे लेकिन आवश्यकता होने पर अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा बैठक कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जाएगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी। जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डे में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारियों के कम से कम 2 पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में करना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार

- संस्था की प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार निम्न प्रकार होंगे:-

1. अध्यक्ष:-

1. बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठकें आहूत करना।

Megha
अध्यक्ष

Ajmer
सचिव

Sumita
कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Rajeev Kajot
Designation: REGISTRAR
Date: 2025.02.17 11:52:59 IST
Reason: Approval
Location: Ajmer



4 संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5 संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2 उपाध्यक्ष:-

1 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना

2 प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3 सचिव:-

1 बैठकें आहूत करना।

2 कार्यवाही लिखना तथा रिकॉर्ड रखना।

3 आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।

4 वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

5 संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6 पत्र व्यवहार करना।

7 सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4 सहसचिव:-

1 सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना

2 प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

5 कोषाध्यक्ष:-

1 वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।

2 दैनिक लेखों पर नियन्त्रण करना।

3 चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4 अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16 संस्था का कोष

- संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा:-

1 चन्दा

2 शुल्क

3 अनुदान

4 सहायता

Ugla
अध्यक्ष

Sanita
सचिव

Sanita
कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Rajeev Kajot
Designation: REGISTRAR
Date: 2025.02.17 11:52:59 IST
Reason: Approval
Location: Ajmer



5 राजकीय अनुदान

6 ऋण

(i) उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जाएगी।

(ii) अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन सम्भव होगा।

17 कोष संबंधी विशेषाधिकार

- संस्थान के हित में तथा कार्य व समय आवश्यकता अनुसार निम्न पदाधिकारी संस्थान की राशि एकमुश्त स्वीकृत कर सकेंगे-

(i)	अध्यक्ष	51000 रु
(ii)	सचिव	41000 रु
(iii)	कोषाध्यक्ष	21000 रु

उक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षण की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18 संस्था का अंकेक्षण

- संस्थान के समस्त लेखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

19 संस्थान के विधान में परिवर्तन

- संस्थान के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20 संस्थान का विघटन

- यदि संस्थान का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्थान की समस्त चल व अचल संपत्ति समान उद्देश्य वाली संस्थान को हस्तांतरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

Megha
अध्यक्ष

Ajmer
सचिव

Sunita
कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Rajeev Kajot
Designation: REGISTRAR
Date: 2025.02.17 11:52:59 IST
Reason: Approval
Location: Ajmer



- 21 संस्थान के लेखे - रजिस्ट्रार संस्थाएँ, अजमेर को संस्था के रिकार्ड का जोखे का निरीक्षण निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उनके द्वारा दिए गए सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) संकल्प सेवा संस्थान, किशनगढ़ की सही व सच्ची प्रति है।


अध्यक्ष


सचिव


कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Rajeev Kajot
Designation: REGISTRAR
Date: 2025.02.17 11:52:59 IST
Reason: Approval
Location: Ajmer

